प्रतिवेदन

परियोजना का नामः– माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में शिवपुरी से जाजल तक रोड का डबल लेन में मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.00 कि0मी0)

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में **माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में शिवपुरी से जाजल तक रोड का डबल लेन में मोटर मार्ग** के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या 1730/111(2)/14–03(मु0मं0घो0)/2014 दिनांक 24 सितम्बर 2014 द्वारा 25.00 कि0मी0 लम्बाई हेतु ₹ 243.54 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है। **(छायाप्रति संलग्न)** जिसके अनुपालन में विभाग द्वारा शिवपुरी से जाजल तक का विस्तृत सर्वेक्षण कराया गया, जिसके अनुसार शिवपुरी से जाजल तक मार्ग की वास्तविक लम्बाई 23.00 कि0मी0 आती है।

शिवपुरी जो कि, इस मार्ग के कि0मी0 0.000 में स्थित है, से डाईगला तक 10.000 कि0मी0 लम्बाई का वनभूमि हस्तान्तरण प्रकरण भारत सरकार के पत्रांक–8बी0/यू0सी0पी0/06/54/2012/एफ0सी0 569, दिनांक 26.06.2015 के द्वारा 10.00 कि0मी0 लम्बाई हेतु स्वीकृति प्राप्त कर मार्ग का निर्माण कराया जा चुका है।

मार्ग के कि0मी 10.000 से कि0मी0 17.25 तक आरक्षिति वन भूमि/सिविल वन भूमि एवं नाप भूमि मार्ग के निर्माण से प्रभावित होगी। मार्ग के कि0मी0 17.25 से कि0मी0 23.00 तक पूर्व में निर्मित है जिसका वनभूमि हस्तान्तरण भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/186/2005/एफ0सी0 2967, दिनांक 02.02.2006 द्वारा 3.00 कि0मी0 लम्बाई हेतु लोक निर्माण के पक्ष में किया जा चुका है। इस प्रकार यह वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव कि0मी0 10.000 (डाईगला) से कि0मी0 17.25 के मध्य आ रही वन भूमि हेतु गठित किया गया है। इस वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सापेक्ष वनभूमि लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित होने के पश्चात सम्पूर्ण 23.00 कि0मी0 लम्बाई में आ रही भूमि लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित हो जायेगी, जिसके पश्चात लोक निर्माण विभाग सम्पूर्ण 23.00 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग का निर्माण करा सकेगा। यह मार्ग एन0एच0–58 तथा एन0एच0–94 को सीधे आपस में जोडेगा, जिससे स्थानीय जनता जिसकी जनसंख्या–1080 है, को प्रत्यक्ष रुप से लाभ मिलेगा तथा दैवीय आपदा के समय भी एन0एच0–94 के बन्द होने की स्थिति में यह मार्ग एक वैकल्पिक मार्ग के रुप में प्रयोग में लाया जा सकेगा। यद्यपि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस मार्ग का निर्माण डबल लेन में कराये जाने की घोषणा की गई थी, किन्तु दिनांक 19.09.2014 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विधानसभा वार समीक्षा बैठक में इस मार्ग का निर्माण सिंगल लेन में कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया, यदि यह मार्ग डबल लेन में निर्मित किया जाता है तो वन भूमि का क्षेत्रफल अधिक होगा एंव अधिक वृक्ष प्रभावित होंगे। इस कारण मार्ग को डेढ लेन में निर्माण के उददेश्य से यह प्रस्ताव 9.00 मीटर चौडाई में गठित किया गया है। वृक्षों की गणना भी 9.00 मीटर चौडाई में ही की गयी है, जिसमे कुल 1269 वृक्ष प्रभावित हो रहे है, किन्तु वर्तमान में मार्ग को सिंगल लेन में निर्माण के उददेश्य से यह प्रस्ताव 7.00 मीटर चौडाई में गठित किया गया है। वृक्षों की गणना भी 7.00 मीटर चौडाई में ही की गयी है, जिसमे कुल 952 वृक्ष प्रभावित हो रहे है, जिसमें बांझ प्रजाति का कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है इसके साथ ही नाप भूमि में कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है। मार्ग निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल 952 वृक्षों की संख्या न्यूनतम है, जबकि नाप भूमि एवं वन भूमि मार्ग निर्माण से आरक्षित वन भूमि 6300.00 मीटर लम्बाई एवं 7.00 मीटर चौडाई, क्षेत्रफल 4.41 हे0, सिविल सोयम भूमि लम्बाई 400 मीटर चौडाई 7 मीटर, क्षेत्रफल 0.28 हे0 नाप भूमि लम्बाई 550 मीटर चौडाई 7 मीटर क्षेत्रफल 0.385 हे0 एवं मक डिस्पोजल/डम्पिंग जोन हेतु नाप भूमि में लम्बाई 65.80 मीटर, चौडाई 50 मीटर एवं क्षेत्रफल 0.329 हे0 प्रभावित होता है। इस प्रकार प्रस्ताव सिंगल लेन मार्ग निर्माण से प्रभावित होने वाली आरक्षित वन भूमि क्षेत्रफल 4.69 हे0 हेतु गठित किया गया है। यह प्रस्ताव दिनांक 22.02.2023 को हुयी बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार भारत सरकार के पत्र दिनांक 07.03.2023 के द्वारा मैरिट के आधार पर अस्वीकृत किया गया था किन्तु मा0 श्री सतपाल महाराज, कैबिनेट मंत्री, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड जी द्वारा भारत सरकार को प्रेषित पत्र दिनांक 06.10.2023 के माध्यम से प्रस्तावित मार्ग की आवश्यकता एवं जन कल्याण की दृष्टि से प्रस्ताव को रि–ओपन कर पुनः विचार हेतु लिखा गया, जिसके कम में यह प्रस्ताव पुनः 4.69 हे0 वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन हेतु प्रेषित किया जा रहा है। इस मार्ग के निर्माण से 1080 जनसंख्या मात्र को ही लाभ न होकर अन्य वह व्यक्ति जो गंगोत्री यमुनोत्री की ओर से सीधे केदारनाथ बद्रीनाथ की ओर जाते है अथवा केदारनाथ बद्रीनाथ से गंगोत्री एवं यमुनोत्री जाते है, उनके लिये 34.00 कि0मी0 की कम दूरी तय करनी होगी, जिससे प्रत्येक वर्ष लगभग 3618.78 लाख रूपये के वाहन ईंधन की बचत होगी।**(संलग्नक–1 के अनुसार)** धनराशि की बचत के साथ–साथ वाहन ईंधन से उत्सर्जित होने वाले कार्बन एवं हानिकारक गैसों के कारण वातावरण को होने वाली हानि कम होगी। भूवैज्ञानिक द्वारा इस मार्ग का सर्वेक्षण कर लिया गया है। (संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।)

वन क्षेत्राधिकारी
शिवपुरी वनराजि
मुनि की रेती (टि0ग0)

क0सं0	ग्राम	कोड संख्या	परिवारों की संख्या	आवादी
1	हाड़ीसेरा	0044439	79	367
2	रोन्देली	044447	35	169
3	मटियाला	044494	18	71
4	शिवपुरी	044503	60	322
5	पसर मय क्यारक	044498	24	113
6	ढ़ाईगला	044495	10	38
			योग–	1080

मार्ग पर पड़ने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है। –

1. आरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल – 4.41 है0 (6300.00 मीटर X 7.00 मीटर)
2. सिविल सोयम भूमि का क्षेत्रफल – 0.28 है0 (400.00 मीटर X 7.00 मीटर)
3. नाम भूमि का क्षेत्रफल – 0.385 है0 (550.00 मीटर X 7.00 मीटर)
4. मक डिस्पोजल (नाप भूमि) – 0.329 है0 (65.80 मीटर X 50.00 मीटर)

अतः इस प्रकार आरक्षित वन भूमि 4.41 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.28 हे0, कुल आरक्षित वन भूमि 4.69 हे0 प्रस्ताव पर पुनः सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन करने हेतु प्रेषित है।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर।
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
(देवप्रयाग)
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

वन क्षेत्राधिकारी
शिवपुरी वनराजि
मुनि की रेती (टि0ग0)

संलग्नक--1

शिवपुरी–जाजल डबल लेन मोटर मार्ग निर्माण से होने वाले लाभ का मूल्यांकन

मार्ग में कुल दूरी की बचत	34.00 KM	
औसत वाहन ईंधन खपत प्रति कि0मी0	10.00 KM/Lit	
प्रति वाहन ईंधन की बचत	3.40 Lit	
प्रति लीटर ईंधन का औसत मूल्य	92.00 Per Lit	
प्रति वाहन ईंधन की बचत रूपये में	Rs. 312.80	

सामान्य परिस्थितियों में (प्रतिदिन)

क0सं0	मार्ग का नाम	वाहनों की गणना का स्थान	वाहनों की आवाजाही की दिशा	वाहनों की संख्या लगभग (प्रतिदिन)	प्रतिवाहन होने वाली बचत	कुल बचत
1	देवप्रयाग–नरेन्द्रनगर मोटर मार्ग	भद्रकाली मंदिर तिराहा	शिवपुरी से नरेन्द्रनगर की ओर आने वाले वाहन	1500.00	Rs. 312.80	469200.00
2	नरेन्द्रनगर–देवप्रयाग मोटर मार्ग	भद्रकाली मंदिर तिराहा	नरेन्द्रनगर से शिवपुरी की ओर जाने वाले वाहन	600.00	Rs. 312.80	187680.00
					योगः–	656880.00
	सामान्य परिस्थितियों में अनुमानित समय (08 माह) 243 दिन में होने वाली कुल बचत					159621840.00

चारधाम यात्रा में (प्रतिदिन)

क0सं0	मार्ग का नाम	वाहनों की गणना का स्थान	वाहनों की आवाजाही की दिशा	वाहनों की संख्या लगभग (प्रतिदिन)	प्रतिवाहन होने वाली बचत	कुल बचत
1	देवप्रयाग–नरेन्द्रनगर मोटर मार्ग	भद्रकाली मंदिर तिराहा	शिवपुरी से नरेन्द्रनगर की ओर आने वाले वाहन	2800.00	Rs. 312.80	875840.00
2	नरेन्द्रनगर–देवप्रयाग मोटर मार्ग	भद्रकाली मंदिर तिराहा	नरेन्द्रनगर से शिवपुरी की ओर जाने वाले वाहन	2500.00	Rs. 312.80	782000.00
					योगः–	1657840.00
	चारधाम यात्रा में का अनुमानित समय (04 माह) 122 दिन में होने वाली कुल बचत					202256480.00
	मार्ग निर्माण से प्रतिवर्ष होने वाली अनुमानित बचत					361878320.00
	मार्ग निर्माण से प्रतिवर्ष होने वाली अनुमानित बचत (रू0 लाख में)					3618.78 Lakhs

Addl Assistant Engineer
C.D. P.W.D.
Narendra nagar

Assistant Engineer
C.D. P.W.D.
Narendra nagar

Executive Engineer
C.D. P.W.D.
Narendra nagar

प्रारुप–11

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि की मांग का पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए विस्तृत आख्या प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

परियोजना का नाम – माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–305/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत शिवपुरी से जाजल तक रोड का डबल लेन में निर्माण कार्य। (लम्बाई 7.25 कि0मी0)

वनभूमि की मॉग का औचित्य एवं विवरण

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में **माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में शिवपुरी से जाजल तक रोड का डबल लेन में मोटर मार्ग का निर्माण हेतु** शासनादेश संख्या 1730/111(2)/14–03(मु0मं0घो0)/2014 दिनांक 24 सितम्बर 2014 द्वारा 25.00 कि0मी0 लम्बाई हेतु ₹ 243.54 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है। **(छायाप्रति संलग्न) ,**

प्रस्तावित संरेखण के अनुसार इस मार्ग में आरक्षित वनभूमि 4.69 है0, सिविल सोयम वनभूमि 0.28 तथा नापभूमि 0.385 है0, मक डिस्पोजल हेतु नाप भूमि 0.329 है0 एवं कुल वनभूमि का क्षेत्रफल 4.69 है0 है। भूवैज्ञानिक द्वारा इस मार्ग का सर्वेक्षण कर लिया गया है तथा प्रस्तावित संरेखण को उपयुक्त बताया गया है। प्रस्ताव में वनभूमि हस्तानान्तरण हेतु प्रभावित होने वाले वन का क्षेत्रफल एवं पेडो की संख्या कम करने हेतु मार्ग की चौडाई केवल 7.00 मीटर ली गयी है। यह मार्ग राष्टीय राज मार्ग–94 ऋषिकेश–हर्षिल–उत्तरकाशी–गंगोत्री तथा ऋषिकेश– बद्रीनाथ राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या–58 को आपस में जोडेगा, जिससे इस मार्ग को आवश्यकता पडने पर वैकल्पिक मार्ग के रुप में भी प्रयोग किया जा सकता है। इस मार्ग के बनने से ग्राम सभा पसर एवं रौन्देली के निवासियों को अपने कृषि उत्पाद को मण्डी ले जाने हेतु सुगम मार्ग उपलब्ध हो जायेगा, इसके अतिरिक्त स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार भी उपलब्ध हो जायेगा क्योंकि यह क्षेत्र शिवपुरी राफ्टिंग केन्द्र के समीप है। स्थानीय युवाओं द्वारा अपने नाप खेतों में कैम्पिंग टैन्ट भी लगाया जा सकता है व यात्रियों को लाने व ले जाने हेतु यातायात के रूप मे अपने निजी वाहन को उपयोग किये जाने हेतु भी रोजगार प्राप्त हो किया जासकता है। इसके अतिरिक्त शिवपुरी से जाजल तक सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा होटल, कॉटेज भी बनाकर स्वयं को रोजगार प्रदान कर सकता है तथा साथ ही अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध हो जायेगा। बेराजगारी इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या है। अतः इस मार्ग के बन जाने से इस क्षेत्र में बेरोजगारी की समय भी कम हो जायेगी।

शिवपुरी वर्तमान में रेलवे स्टेशन का कार्य गतिमान है, इस मार्ग के बन जाने से कर्णप्रयाग एवं दिल्ली जाने वाले यात्रियों को कम समय में यात्रा करना उपलब्ध हो जायेगा। यह भी अवगत कराना है कि यह इस तहसील का सबसे पिछडा क्षेत्र है जहां के निवासियों को अभी भी सामाजिक आर्थिक व्यावसायिक रूप से उपर उठाने में यह मार्ग महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करेगा।

मार्ग से निम्नलिखित ग्रामों को यातायात की सुविधा प्राप्त होगी।

क0सं0	ग्राम	कोड संख्या	परिवारों की संख्या	आबादी
1	शिवपुरी	044	60	322
2	हाड़ीसेरा	0044439	79	367
3	रोन्देली	044447	35	169
4	मटियाला	044494	18	71
5	पसर मय क्यारक	044498	24	113
6	ढाईगला	044495	10	38
			योग–	1080

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।